कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय / Head Office
भविष्य निधि भवन,14,भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi- 110066
www.epfiindia.gov.in , www.epfindia.nic.in
email-rpfc.exam@epfindia.gov.in

परीक्षा: 1(1)2011/एल.डी.सी./429/437 दिनांक 30 जनवरी JAN 2012

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त,
क्षे.कार्यालय/उप क्षे.कार्यालय के प्रभारी
क्षे.भ.नि.आ. (प्र.से.प्र.), मुख्यालय सहित

विषय:- अवर श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक **28 मार्च, 2012** को सीमित विभागीय परीक्षा का आयोजन के संबंध में।

महोदय,

परीक्षा कोटे के अंतर्गत अ.श्रे.लि.के पद पर पदोन्नति हेतु सीमित विभागीय परीक्षा का आयोजन, उन क्षेत्रों के लिये जहां रिक्त पद हैं, दिनांक **28 मार्च, 2012** को किया जाएगा। रिक्तियों का पूर्ण विवरण निम्नलिखित है :

क्रम सं.	क्षेत्र	रिक्तियों का विवरण				
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	सामान्य	कुल	शारीरिक रूप से अक्षम
1	आन्ध्र प्रदेश	0	0	08	08	0
2	बिहार	0	0	01	01	0
3	झारखण्ड	0	0	00	00	0
4	दिल्ली	0	0	05	05	0
5	गुजरात	01	0	12	13	0
6	हरियाणा	0	0	00	00	0
7	हिमाचल प्रदेश	0	0	01	01	0
8	कर्नाटक	01	0	06	07	0
9	केरल	0	0	01	01	0
10	मध्य प्रदेश	0	0	00	00	0
11	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0
12	महाराष्ट्र	0	0	02	02	0
13	गोवा	0	0	0	0	0

14	पूर्वोत्तर	0	0	0	0	0
15	उड़ीसा	0	0	03	03	0
16	पंजाब	01	0	06	07	0
17	राजस्थान	0	0	02	02	0
18	तमिलनाडु	03	02	07	12	0
19	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0
20	उत्तराखण्ड	0	0	01	01	0
21	पश्चिम बंगाल	0	0	00	00	0
22	मुख्य कार्यालय	01	0	00	01	0
	कुल	**07**	**02**	**55**	**64**	**0**

2. आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित समय-सारणी के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करें :

क्रम सं.	**की जाने वाली कार्रवाई**	**दिनांक**
क	आवेदन आमंत्रित करने के लिए परिपत्र जारी करने से संबंधित दिए गए फार्मेट **(परिशिष्ट 'ए')** में फैक्स/ई-मेल के माध्यम से क्षे.भ.नि.आ. (क्षे.का./उ.क्षे.का.) द्वारा क्षे.भ.नि.आ. (परीक्षा) को पुष्टि करना।	27.01.2012
ख	पात्र अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित फॉर्म में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि।	10.02.2012
ग	क्षे.का./उ.क्षे.का./आं.प्र.सं./नाटरस के प्रभारी अधिकारियों द्वारा क्षे.भ्.नि.आ. (परीक्षा) को डाक/ई-मेल द्वारा पात्र आवेदकों की कुल संख्या को सूचित करना।	14.02.2012
घ	**क्षेत्र** (क्षे.का./उ.क्षे.का./जिला का.) के पात्र अभ्यर्थियों की अंतिम सूची को निर्धारित फार्मेट **(परिशिष्ट 'बी')** में क्षे.भ.नि.आ. (परीक्षा) का अग्रेषित किया जाए जिसे दो प्रतियों में क्षेत्र के **क्षे.भ.नि.आ.-I** द्वारा भेजा जाए।	17.02.2012

3. उ.क्षे. कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र के प्राप्त होते ही पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करने हेतु तत्काल कार्रवाई करें तथा इसे निर्धारित तिथि पर संबंधित कार्यालयों को अग्रेषित करें। क्षे.का. से भी अनुरोध है कि वे इस संबंध में आवश्यक अगली कार्रवाई करें। इस संबंध में प्रमाण-पत्र को निर्धारित तिथि तक क्षे.भ.नि.आ. (परीक्षा) को भेजें। इस पत्र की प्रति को भी अपने कार्यालय के नोटिस-बोर्ड पर लगाएं।

4. परीक्षा से संबंधित विवरण जैसे पात्रता, समय-सारणी, परीक्षा की प्रकृति आदि इस पत्र के **परिशिष्ट 'सी'** में दिया गया है। परीक्षा के स्थान के विषय में अलग से सूचित किया जाएगा।

5. **क्षेत्रों के प्रभारी** क्षे.भ.नि.आ. उपर्युक्त तालिका 2 (घ) के अनुसार क्षेत्र के अभ्यर्थियों (सभी कार्यालय सहित) की अंतिम सूची दो प्रतियों में मुख्यालय को भेजने से पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय तथा उ.क्षे.का. के आवेदकों की पात्रता तथा अन्य विवरण की जांच करेंगे।

6. सभी क्षे.का./उ.क्षे.का. निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोचिंग कक्षाएं आयोजित करने की व्यवस्था करेंगे। सभी क्षेत्रों में (क्षे.भ.नि.आ.(प्र.से.प्र.), मुख्यालय सहित) परीक्षा में सफलता के लिए यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी इन कोचिंग कक्षाओं का लाभ उठाएं।

7. **कृपया rpfc.exam@epfindia.gov.in पर मेल द्वारा पावती भेजें।**

(इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है)

भवदीया,

संलग्न : यथोपरि

स्वागता

(स्वागता राय)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (परीक्षा)

प्रतिलिपि :-

1. सभी अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त/वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी।
2. निदेशक, नाटरस।
3. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त । (मा.सं.प्र.), मुख्यालय।
4. सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान।
5. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सचिव।
6. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ॥ (मा.सं.प्र.), मुख्यालय।
7. क्षेत्रीय आयुक्त (एन.डी.सी.) को वेबसाइट पर लोड करने हेतु।
8. महासचिव, अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ फेडरेशन।
9. महासचिव, अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्टाफ फेडरेशन।
10. गार्ड फाइल।

(जोसेफ सोरेंग)
सहायक भविष्य निधि आयुक्त (परीक्षा)

परिशिष्ट 'ए'

(मुख्यालय के परिपत्र सं., परीक्षा 1(1) 2011 अ.श्रे.लि./429 दिनांक 24 जनवरी 2012 का संलग्नक)

यह पत्र सं. परीक्षा 1(1)/2011/ अ.श्रे.लि./429 दिनांक 24 जनवरी 2012 की प्राप्ति की पावती है और प्रमाणित किया जाता है कि पत्र का विषय सभी संबंधितों में परिचालित किया जा चुका है और इस क्षेत्र के कार्यालयों के सूचना पटों पर प्रदर्शित किया गया है। योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र मंगाए जा चुके हैं।

प्रभारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के हस्ताक्षर

नाम ____________________

कार्यालय ____________________

(क्षेत्रीय कार्यालय/उपक्षेत्रीय कार्यालय की मोहर)

परिशिष्ट 'बी'

(मुख्यालय के परिपत्र सं. परीक्षा 1 (1) 2011 अ.श्रे.लि./429 दिनांक 24 जनवरी 2012 का संलग्नक)

दिनांक 28 मार्च 2012 को आयोजित अवर श्रेणी लिपिक पद पर पदोन्नति के लिए सीमित विभागीय परीक्षा के लिए क्षेत्र/ मुख्यालय के योग्य अभ्यर्थियों की अंतिमसूची

क्रम सं.	क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालय का नाम/मुख्यालय (वर्णक्रम में)	बड़े अक्षरों में पदनाम के साथ अभ्यर्थी का नाम	अनु.जा./जन जाति है (लाल स्याही में)	रोल नं.	भाषा विकल्प हिन्दी/अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषा	टिप्पणी
(क)	**(ख)**	**(ग)**	**(घ)**	**(ड.)**	**(च)**	**(छ)**

(अंतिम पृष्ठ में भेजा जाए)

अभ्यर्थियों की कुल संख्या	
क्षेत्रीय कार्यालय : ____________ उ.क्षे.का. (ए)____________ (बी)____________ (सी)____________ (डी)____________ (ई)____________ (एफ)____________	सामान्य ____________ अनु.जाति ____________ जन जाति ____________
कुल :	कुल :

प्रमाणित किया जाता है कि भर्ती नियमों के अनुसार अवर श्रेणी लिपिक पद के लिए सीमित विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये पदधारी उपर्युक्त दी गई सूची के अनुसार योग्य हैं।

प्रभारी क्षे.भ.नि.आ.के हस्ताक्षर
(क्षे.का.की मोहर)

परिशिष्ट -सी

(मुख्यालय के परिपत्र संख्या परीक्षा .1(1)/2011 अ.श्रे.लि./429 दिनांक 24 जनवरी, 2012 का संलग्नक)

अवर श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 28 मार्च, 2012 को आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय परीक्षा

यह परीक्षा पत्र संख्या परीक्षा.16 (2) / 2000 / 608 दिनांक 18.12.2002 के द्वारा परिचालित कर्मचारी भविष्य निधि विभागीय पदोन्नति परीक्षा योजना, 2002 के अनुसार संचालित की जाएगी।

1. **समय-सारणी**

दिनांक एवं समय	पेपर	विषय	अंक
28.03.2012 10:00 बजे प्रात: से 12:00 बजे दोपहर	**केवल एक पेपर**	**भाग-क** (क) अंग्रेजी **भाग-ख** (ख) अंकगणित (ग) सामान्य ज्ञान **(परीक्षा का पाठ्यक्रम योजना के साथ संलग्न अनुसूची में दिए गए विवरण के अनुसार होगा। प्रश्न पत्र विभिन्न प्रकार का हो सकता है जैसे लिखित, प्रायोगिक, वस्तुनिष्ठ, आदि)**	 40 30 30 100 कुल अंक

2. **अवर श्रेणी लिपिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम**
   अंग्रेजी, अंकगणित तथा सामान्य परीक्षा

(क) अंग्रेजी :

(40 अंक)

(i) निबंध, पत्र-लेखन, बोधगम्यता (काम्प्रीहेंशन)
(ii) अनुप्रयुक्त व्याकरण :

विराम चिन्ह, काल, विलोम एवं समानार्थक समापिका क्रिया तथा सहायक क्रिया का प्रयोग, विशेषण तथा क्रिया विशेषण, पूर्वसर्ग के सही प्रयोग के ज्ञान के परीक्षण हेतु रिक्त स्थान, सर्वनाम तथा उपपद, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कथन (नैरेशन), वाक्यांश तथा खण्डवाक्य (क्लॉज), वाक्यों में बदलना, शब्दों को सही प्रकार से वाक्य के रूप में व्यवस्थित करना, वाक्यों में सुधार करना।

(ख) अंकगणित : **(30 अंक)**

सरलीकरण सं संबंधित प्रश्न, प्रतिशतता, अनुपात एवं समानुपात, औसत, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, छूट, लाभ एवं हानि, समय एवं कार्य, समय एवं दूरी, सारणीकरण, आदि।

(ग) सामान्य ज्ञान : **(30 अंक)**

दैनिक रूप से तथा अनुभव किए जाने वाले घटनाक्रमों की जानकारी, भारतीय राजनीति, भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय नेता, संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, भूगोल, पुस्तकें एवं लेखक, संक्षिप्तीकरण, आदि।

3. भर्ती का तरीका तथा पात्रता :

दिनांक 25.03.2006 को अधिसूचित अवर श्रेणी लिपिक के पद हेतु भर्ती नियमों के अनुसार, 30% भर्ती ग्रुप 'सी' कर्मचारियों में से सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम जिनका वेतनमान समान है अथवा अवर श्रेणी लिपिक से कम है तथा संबंधित कार्यालयों में कार्यरत ग्रुप 'डी' कर्मचारी जो न्यूनतम शैक्षिणिक योग्यता मैट्रिक अथवा समकक्ष प्राप्त हैं तथा जिन्होंने ग्रुप 'डी' तथा ग्रुप 'सी' एकाकी संवर्ग में पांच वर्षो की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, में से होगी।

4. पात्रता की तिथि :

परीक्षा में बैठने की पात्रता संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार निर्धारित की जाएगी। परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए कट ऑफ तिथि पिछले वर्ष की 1 जनवरी होगी अर्थात् उम्मीदवारों द्वारा **01.01.2011** को पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली गई हो।

5. परीक्षा का प्रकार तथा मैरिट सूची बनाना :

परीक्षा की योजना के अनुसार, यह एक अर्हक परीक्षा है तथा सफल उम्मीदवारों की उनके द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर मैरिट क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र/मुख्यालय के संबंध में प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग से मैरिट सूची बनाई जाएगी।

6. भाषा का विकल्प :

प्रश्न पत्र (भाग-क) केवल अंग्रेजी में होगा तथा इनका उत्तर केवल **अंग्रेजी** में देना होगा। प्रश्न पत्र (भाग-ख) अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में होगा तथा उम्मीदवारों के पास यह विकल्प होगा कि वे उसका उत्तर अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा उस क्षेत्र की भाषा में दे सकते हैं जिस क्षेत्र में वे कार्यरत हैं। आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय चयन किया गया विकल्प अंतिम समझा जाएगा।

-x-x-x-x-x-